श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी–4,कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110016

क्रमांकःएफ–21(2)ला.ब.शा.रा.सं.वि./हिंदी राजभाषा/2020–21/ 12 दिनांक 09.07.2021

कार्यालयीय–आदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की उप समिति–03 के द्वारा विश्वविद्यालय की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई, जिसमें विभाग/अनुभाग से संबंधित निम्नलिखित कार्य आवश्यक रूप से करने हेतु निर्देश दिए गयें :–

1. राजभाषा अधिनियम 1936 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में (हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में) जारी किए जाएं।
   जैसे– सामान्य आदेश, अधिसूचनाएँ ज्ञापन, प्रेस विज्ञाप्तियाँ/टिप्पणियाँ, संविदाए, करार लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस (i) क्रय विक्रय सम्बन्धी (ii)सिबिल/अन्य कार्य सम्बन्धी, संकल्प, नियम संसद के सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत सरकारी कागजात, रिर्पोटों के अलावा संसद के सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रषासनिक और अन्य रिपोर्ट, जो अपने उच्चतर कार्यालयों को भेजी जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिंदी तथा अंग्रेजी यथार्थ द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
2. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का प्रयास किया जाए।
3. 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में प्रेषित की जाने वाली पत्र/पत्रिका/आदेश/निर्देश इत्यादि शत–प्रतिशत हिंदी में हो तथा 'ग' क्षेत्र में प्रेषित की जाने वाले प्रपत्र इत्यादि कम से कम 65 प्रतिशत पत्र–व्यवहार हिंदी में किया जाए।

एतदर्थ विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वह उपर्युक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

कुलसचिव (प्रभारी)

नोट : 'क' एवं 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र का वर्गीकरण का निम्न प्रकार है :–

"क" क्षेत्र– बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड, राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र।

"ख" क्षेत्र– गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

"ग" क्षेत्र– उपर्युक्त में निर्दिष्ट राज्यों और संघ क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 विश्वविद्यालयीय समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष।
2 विश्वविद्यालयीय समस्त विभाग/अनुभाग।
3 संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे इस कार्यालयीय आदेश को विश्वविद्यालयीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4 कुलपति के निजी सचिव।
5 कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव।
6 संबंधित पंजिका।

कुलसचिव (प्रभारी)